



2026:AHC-LKO:22305

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 859/2026

श्रीमती एकता सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्ष (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : वीर बहादुर लाल श्रीवास्त, आलोक कुमार मिश्रविरोधी पक्ष (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 15

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

1. आवेदक की ओर ये विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशान्त सिंह अटल, जिनकी सहायता विद्वान अधिवक्ता श्री वीर बहादुर श्रीवास्तव कर रहे थे और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. यह आवेदन निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों के साथ दाखिल किया गया है:

"अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह प्रार्थना की जाती है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध वाद संख्या 6702/2025, जिसका शीर्षक 'श्रीमती एकता सिंह बनाम अभिजीत विसेन और अन्य' है, में दिनांक 12-02-2026 को पारित किया गया आक्षेपित आदेश (संलग्नक संख्या - 1) जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156-3) के अंतर्गत थाना - सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ से संबंधित है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। उसे कृपया अभिखण्डित कर दिया जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय कृपया विचारण न्यायालय को यह निर्देश दे कि वह संलग्नक संख्या - 7 में याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपतियों के आलोक में एक नई प्रारंभिक जांच करे, और प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा धारा 173(4) (संलग्नक संख्या - 2) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर, 'ललिता कुमारी (उपर्युक्त) वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप, एक नया आदेश पारित करे।"

3. आवेदक का यह वाद है कि आवेदक ने प्रस्तावित नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में, संबंधित पुलिस ने दिनांक 15.12.2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदक का आवेदन मुख्य रूप से इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि कोई ऐसा अपराध बनता ही नहीं है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह विशिष्ट तर्क प्रस्तुत किया है कि घटना के दिन, प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आई थीं। विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन के पृष्ठ-39 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें दिनांक 30.11.2025 की चोट रिपोर्ट संलग्न है। यह निवेदन किया गया है कि उक्त घटना के दिन, प्रस्तावित अभियुक्त द्वारा आवेदक पर हमला किया गया था, जिससे उसे शारीरिक चोटें आई थीं। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि पुलिस द्वारा एकपक्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी; पुलिस ने केवल प्रस्तावित अभियुक्त अभिजीत बिसेन का बयान दर्ज किया था, और विचारण न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते समय केवल उसी बयान को आधार बनाया था।

5. आवेदक का यह विशिष्ट कथन है कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह आपत्ति उठाई थी कि पुलिस द्वारा उसकी बात नहीं सुनी गई और न ही उसका बयान दर्ज किया गया; इसके

बावजूद, मजिस्ट्रेट ने पुलिस की एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर, बिना उचित विचार-विमर्श के यांत्रिक ढंग से अपना आदेश पारित कर दिया। यह निवेदन किया गया है कि मजिस्ट्रेट ने आवेदक द्वारा उनके समक्ष उठाई गई आपतियों पर कोई चर्चा या विचार नहीं किया है। अपने तर्कों के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय *ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य, एआईआर 2014 एससी 187* के अनुच्छेद-111 पर अपना भरोसा जताया है।

6. अभिलेख का अवलोकन करने और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद, मेरा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने आवेदक द्वारा दाखिल आपति पर ध्यान नहीं दिया, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि उसने अपनी आपति में यह बताया था कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज किए बिना ही एकतरफा रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई दूसरी दलील में भी बल है कि जब कहा सुनी हुई थी, तब आवेदक को चोट लगी थी।

7. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है और दिनांक 12.2.2026 का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। संबंधित मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मामले पर पुनः विचार करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर, आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद एक नया आदेश पारित करें।

31 मार्च 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सचिन/-

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

Translated Version. Not for Legal Use.